

झारखण्ड सरकार,  
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

रमाशंकर  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,  
झारखण्ड।

विषय:-

झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाईपलाईन (भूमि की उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 के तहत सक्षम प्राधिकार नियुक्त करने के संबंध में।

राँची, दिनांक-12-06-18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाईपलाईन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 एवं झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाईपलाईन (भूमि की उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त नियमावली की कंडिका-3 के आलोक में भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु कार्य करने के निमित्त सभी जिला के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं RECTLARR Act, 2013 की धारा-3 (g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त पदाधिकारियों को भू-अर्जन की कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार (Competent Authority of Land Acquisition) नामित किया जाता है।

विश्वासभाजन

*R. M. Shukla*  
12-6-18  
(रमाशंकर)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

313/राँची, दिनांक-12-06-18

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/मुख्य मंत्री के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*R. M. Shukla*  
12-6-18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

313/राँची, दिनांक-12-06-18

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्ता/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*R. M. Shukla*  
12-6-18

सरकार के उप सचिव।

